



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 313]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 2, 2016/वैशाख 12, 1938

No. 313]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 2, 2016/ VAISAKHA 12, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 2016

सा.का.नि. 472(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप नियम, जिसे केंद्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, को उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा यथापेक्षित उनके द्वारा संभाव्य प्रभावित सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से जब इस अधिसूचना की प्रतियां, भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित, आम जनता को उपलब्ध कराई जाती है से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा।

कोई आक्षेप या सुझाव, जो किसी व्यक्ति से उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के भीतर प्राप्त किए जाते हैं, पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, संयुक्त सचिव, परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर भेजी जा सकेगी।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (.....संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है), में, नियम 124क में, उपनियम (2) में, -

(I) पहले परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु यह और कि 1 अक्टूबर, 2016 को और उसके पश्चात् विनिर्मित कृषि ट्रैक्टरों की लाइटिंग और लाइट सिग्नलिंग डिवाइसिस निष्पादन अपेक्षाओं समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस:062 (रेव 1):2013 के अनुसार होगी। जब तक तत्स्थानी वीआईएस मानक अधिसूचित नहीं किए जाते हैं:”;

(II) विद्यमान दूसरे परंतुक में “परंतु यह और कि ” शब्दों के स्थान पर “परंतु यह और भी कि” 1 अक्टूबर, 2016 से प्रभावी शब्द रखे जाएंगे।

3. मूल नियमों में, नियम 126 में पहले परंतुक में अंत में आने वाले शब्द “समय-समय पर यथासंशोधित” के पश्चात् निम्नलिखित शब्द, अक्षर, अंक और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“और तकनीकी विनिर्देशों पर सूचना यान विनिर्माता द्वारा एआईएस 007(रेव 5):2014 के अनुसार प्रस्तुत की जाएगी।”।

[सं. आरटी- 11028/05/2015 –एमवीएल]

अभय दमले, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 को प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना सं..... (अ), तारीख को संशोधित किए गए।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd May, 2016

G.S.R. 472(E).—The following draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 110 of The Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after expiry of a period of 30 days from the date on which copies of this notification as published in the Gazette of India are made available to the public.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules within the expiry of the period so specified will be considered by the Central Government.

The objections or suggestions, if any, to these draft rules be sent to the Joint Secretary (Transport), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi, within the period, specified above.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (___Amendment) Rules, 2016.
(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred as the principal rules), in rule 124A, in sub-rule (2),-
(I) after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-
“Provided further that the performance requirements of the lighting and light-signaling devices of agricultural tractors manufactured on and after the 1st day of October, 2016 shall be in accordance with AIS:062 (Rev.1): 2013, as amended from time to time, till such time corresponding BIS standards are notified.”;
(II) in the existing second proviso for the words, “provided further”, the words “provided also” shall be substituted with effect from the 1st day of October, 2016.
3. In the principal rules, in rule 126, in the first proviso, after the words “as amended from time to time” occurring at the end the following words, letters, figures and brackets shall be inserted, namely:-
“and information on technical specifications shall be submitted by the vehicle manufacturer in accordance with AIS-007(Rev.5):2014.”.

[F. No. RT-11028/05/2015-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended vide notification number ___(E) dated _____.